न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 29/2019/प्रथम अपील

सविता कुमारी पुत्री मातादीन अग्रवाल, मु. खेड़ी पोस्ट जाजोद, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)– 332722
अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 16 सितम्बर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **सविता कुमारी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **19.08.2019** द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं चाही गई हैं :–

   (1) कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर के पत्र कमांक 466 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार प्रवर्तन अधिकारी नीमकाथाना श्रीमंती सुनिता शर्मा व प्रवर्तन अधिकारी दांतारामगढ़ श्री इन्द्राज मीणा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को उचित मूल्य दुकान खेड़ी पोस्ट ग्राम पंचायत जाजोद तहसील खण्डेला के आकस्मिक निरीक्षक/जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति देवे तथा ग्राम स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति के सदस्यों के द्वारा दिनांक 08.07.2019 की रिपोर्ट की सत्यापित प्रति देवें।

   (2) जिला रसद अधिकारी कार्यालय के पत्र कमांक 466 दिनांक 15.07.2019 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दिनांक 08.07.2019 को FPS कोड 30433 की पॉस मशीन से वितरण ट्रांजक्शन रिपोर्ट तथा स्टॉक एण्ड लिफ्टिंग के विवरण की सत्यापित प्रति देवे।

   (3) पत्र कमांक 467 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार जांच दल के गठन की सत्यापित प्रति तथा प्रवर्तन अधिकारी श्रीमाधोपुर व दांतारामगढ़ जांच दल द्वारा दिनांक 08.07.

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

2019 को कुमारी सविता उचित मूल्य दुकान खेड़ी ग्राम पंचायत जाजोद तहसील खण्डेला FPS कोड 30433 आकस्मिक निरीक्षण में बरती गई गम्भीर अनियमितता की सत्यापित प्रति देवे।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **12.09.2019** द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2019 को प्राप्त हुआ। बिन्दु संख्या 1 की सूचना के कुल सात प्रमाणित पृष्ठ पत्र के साथ संलग्न भिजवाये जा रहे हैं। बिन्दु संख्या 2 की सूचना क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 08.07.2019 को FPS कोड 30433 की पॉस मशीन से वितरण शुन्य, दिनांक 01.07.2019 को अवशेष स्टॉक–7 किग्रा. है जिसके दो प्रमाणित पृष्ठ तथा लिफ्टिंग के ऑनलाईन विवरण की सूचना का एक प्रमाणित पृष्ठ एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना के प्रमाणित 2 पृष्ठ आवेदक को भिजवाया जा रहा है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अपने पत्र दिनांक 12.09.2019 से अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अन्दर मियाद उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(सी.आर. मीना)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner